

प्रति,

जन सूचना अधिकारी
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पश्चिम क्षेत्र-1, नागपुर

विषय- ग्राम तागा जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) स्थित पावर ग्रिड से सूचना के अधिकार 2005 के तहत जानकारी पाने बाबत।

महोदय,

- 1) पावर ग्रिड के ही संलग्न पत्र क्र. 2349 दिनांक 01.03.2014 के पत्र में उल्लेखित अचिन्हांकित भूमि खसरा 64/2ज एवं 64/2स के संलग्न अभिस्वीकृति पत्र में दर्ज भूमि खसरा नं. 64/2ज अर्जित रकबा 1.00 एकड़ भूमि एवं खसरा नं. 64/2स अर्जित रकबा 1.00 एकड़ भूमि के भूस्वामियों को स्वयं पावर ग्रिड द्वारा भी मुआवजा राशि दिया गया है। उक्त दोनों भूमि खसरा से अर्जित कुल रकबा 2.00 एकड़ भूमि का भी पावर ग्रिड को मौके पर कब्जा प्राप्त है या मौके पर कब्जा प्राप्त नहीं है। स्पष्ट रूप से उल्लेख कर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करें।
- 2) भू-अर्जन प्रकरण क्र. 19अ/82/2010-11 के अन्तर्गत अर्जित भूमि की सूची के साथ संलग्न नक्शा पावर ग्रिड के जे.ई. विकास साव एवं उपप्रबंधक भूषण टोकेकर एवं राजस्व विभाग के पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार के द्वारा सहस्ताक्षरित नक्शा में खसरा नं. 64/2ज, खसरा नं. 64/2स किस भूमि खसरा के साथ लगा हुआ अंकित है स्पष्ट रूप से उल्लेख कर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करें।

संलग्न :-

रु.20 का पोस्टल ऑर्डर क्र. 20G 090690 (रु.10 आवेदन शुल्क व रु.10 5 प्रतियों की शुल्क)

दिनांक-15.07.2019

बलभद्र प्रसाद कश्यप
आवेदक

बलभद्र प्रसाद कश्यप

आ. स्व. लक्ष्मी प्रसाद कश्यप

मु.पो.-तागा

जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

पिन-495668

मो.नं. 9827962191

RIP
श्रीमती दिव्या
कश्यप - रचने के अर्जित
अर्जित के 02/07/2019
17/7/2019

प्रश्न 2 (अ) प्रश्न 1

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)



पावरग्रिड

765/400 के.व्ही.संयोजनकेंद्र एवं ±800 के.व्ही. एच.व्ही.डी.सी. टर्मिनल, ग्राम: तागा, तह-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
765/400 kV Pooling Station & ±800 kV HVDC Terminal, Vill-Taga, Tah-Akaltara, Distt.: Janjgir-Champa (C.G.)
Site Office: A-2, Shivram Colony, Main Akaltara Road, NH-200, Janjgir, Distt.: Janjgir-Champa (C.G.)-495668

Ref: WNR IC/चांपा/भू-अर्जन/2349

WR/NR INTERCONNECTOR HVDC PROJECT (WR-1) दिनांक 01.03.14

प्रति,

जिलाधिकारी

जांजगीर - चांपा (छ.ग.)

विषय: पावरग्रिड भू-अर्जन ग्राम तागा के निजी भूमि खसरा नं 64/2क के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि ग्राम तागा, तहसील अकलतरा के अंतर्गत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा 800 के.व्ही. HVDC टर्मिनल एवं 765/400 के.व्ही. संयोजन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पावरग्रिड को ग्राम तागा की कुल 82.36 एकड़ निजी भूमि अवाई की जा चुकी है (संलग्न अनेक्सर -ए)। इस अधिग्रहित भूमि में संलग्न अवाई की कापी अनुसार, खसरा क्र. 64/2क की 2.72 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है, जिसमें से कि संबन्धित भूमि स्वामी श्री बलभद्र कश्यप आ. लक्ष्मी प्रसाद कश्यप द्वारा बताया गया है कि उनकी लगभग 2 एकड़ अधिक भूमि कृषक के पास उपलब्ध रिकार्ड अनुसार पावरग्रिड की सीमा में आ रही है जिसे उन्होंने पूरक भू अर्जन प्रस्ताव के अंतर्गत लेने हेतु आवेदन किया गया है (आवेदन की प्रति संलग्न अनेक्सर -बी)। इस भूमि से जुड़े हुए दो अन्य खसरा क्र. 64/2ज एवं 64/2स कुल रकबा 2 एकड़ की भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार पावरग्रिड सीमा में आ रही है जो कि भौतिक रूप से स्थल पर चिन्हित नहीं हो पा रही है।

इस संबंध में आपको ज्ञात हो कि उक्त भूमि एवं उसके आसपास की भूमि का पावरग्रिड द्वारा मौके से नाप किया गया है जिसमें सीमा लाईन के भीतर की भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 7.00 एकड़ (255.5 मी x 111.5 मी = 28488.25 वर्गमी) पाया गया। जबकि पूर्व भू-अर्जन में अवाई की गयी भूमि और पूरक भू-अर्जन में ली गयी भूमि का रकबा भी लगभग 7.00 एकड़ हो रहा है। (इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी हेतु नक्शा संलग्न है।)

चूंकि मामला विवादास्पद है, अतः कार्य की आवश्यकता को देखते हुये आपसे सादर निवेदन है कि उपरोक्त समस्या का निदान कर शासकीय कार्य में होने वाली रुकावट को दूर करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

जांजगीर-चांपा
01 MAR 2014
जांजगीर-चांपा


माता
जांजगीर-चांपा

मुख्य प्रबन्धक चांपा

प्रतिलिपि: अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर, जांजगीर - चांपा (छ.ग.) को आवश्यक सहयोग एवं सूचनार्थ

o/c

पृष्ठ 2 (अ) पृष्ठ (2)



* पावर गिड के वाडकी वार के अन्तर्गत आता है



अभिस्वीकृति

मैं शिवेन्द्र कुमार सिंह रुपेन्द्र कुमार सिंह पिता कृष्ण कुमार सिंह जाति .~~साकिन~~ साकिन
...~~साकिन~~ अपनी भूमि जो शासन द्वारा पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा
765/400 के.व्ही. उपकेंद्र निर्माण के लिये (पूरक भू-अर्जन प्र0क्र0 05/अ 82/2013-14)
अधिग्रहित की गयी है जिसका सम्पूर्ण मुआवजा निम्न प्रकार प्राप्त कर लिया है:-

1. शासन द्वारा देय मुआवजा (जिसमे वृक्ष, मकान/कुआँ, सोलेशियम, ब्याज आदि सम्मिलित
हैं) का चेक क्रमांक .069235... दिनांक .30/01/15 रूपये .10,08,054.00
को दिनांक .~~04/02/15~~ ^{30/01/15} को प्राप्त कर लिया।
2. 10.00 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर (जिसमे 4.00 लाख प्रति एकड़ भू-मुआवजा एवं
3.00 लाख प्रति एकड़ नौकरी की मांग के एवज मे एक मुश्त भुगतान शामिल है) और 3
लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से (नौकरी की एवज मे अतिरिक्त भुगतान), चेक क्र
039134 रूपये 1000000.00 दिनांक 28.01.2015 को आज दिनांक
04/02/15..... को पावर ग्रिड कार्यालय से प्राप्त कर लिया है।

इसके अतिरिक्त पावरग्रिड कार्यालय से मुआवजे की कोई भी राशि बकाया नहीं है। भूमि का
सम्पूर्ण मुआवजा प्राप्त करने के साथ ही मैंने खसरा नंबर 64/2ज रकबा 1.00 एकड़ का कब्जा
भी दो गवाहों के समक्ष पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. उपकेंद्र जांजगीर-चांपा को सौंप
दिया।

हस्ताक्षर

भूमि स्वामि / मुआवजा प्राप्तकर्ता

गवाह-

1. नाम पिता का नाम
साकिन हस्ताक्षर
2. नाम पिता का नाम
साकिन हस्ताक्षर



अभिस्वीकृति

मैं नवीन कुमार सिंह पिता सगुन सिंह जाति ~~साकिन~~ साकिन ~~नरेश्वर~~ अपनी भूमि जो शासन द्वारा पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा 765/400 के व्ही. उपकेंद्र निर्माण के लिये (पूरक भू-अर्जन प्र0क्र0 05/अ 82/2013-14) अधिग्रहित की गयी है जिसका सम्पूर्ण मुआवजा निम्न प्रकार प्राप्त कर लिया है:-

1. शासन द्वारा देय मुआवजा (जिसमे वृक्ष, मकान/कुआँ, सोलेशियम, ब्याज आदि सम्मिलित हैं) का चेक क्रमांक ..069.236. दिनांक 30/01/15. रुपये 10,08,994.00 को दिनांक 30/01/2015.. को प्राप्त कर लिया।
2. 10.00 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर (जिसमे 4.00 लाख प्रति एकड़ भू-मुआवजा एवं 3.00 लाख प्रति एकड़ नौकरी की मांग के एवज मे एक मुश्त भुगतान शामिल है) और 3 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से (नौकरी की एवज मे अतिरिक्त भुगतान), चेक क्र 039135 रुपये 1000000.00 दिनांक 28.01.2015 को आज दिनांक 04/02/15..... को पावर ग्रिड कार्यालय से प्राप्त कर लिया है।

इसके अतिरिक्त पावरग्रिड कार्यालय से मुआवजे की कोई भी राशि बकाया नहीं है। भूमि का सम्पूर्ण मुआवजा प्राप्त करने के साथ ही मैंने खसरा नंबर 64/2स रकबा 1.00 एकड़ का कब्जा भी दो गवाहों के समक्ष पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. उपकेंद्र जांजगीर-चांपा को सौंप दिया।

नवीन कुमार सिंह
हस्ताक्षर

भूमि स्वामि / मुआवजा प्राप्तकर्ता

गवाह-

1. नाम धनराज सिंह चौधरी पिता का नाम श्री जे.एन.बी. सिंह
साकिन अकबर हस्ताक्षर [Signature]

2. नाम रघुपति सिंह पिता का नाम आहुपति सिंह
साकिन करी हस्ताक्षर [Signature]

श्रीराम

बालमठ प्रसाद कश्यप
श्रीमंत रमणी प्रसाद कश्यप
कु.पा. - सागा
दामा - जिनगी
सिखा - जिनगी - सागा
ह.ग.ग.
फोन नंबर - 495668

केंद्र प्रसाद
11 JUL 2019
नासिक, महाराष्ट्र

श्रीराम



जान श्रुत्या रक्षिकारी
याच पत्राच्या रक्षिकारी
नासिक
नासिक - कल्याण
वसुधायुक्त
फोन नंबर - 440026